न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 123/2022
अनवान : –

1. सुभाष पुत्र दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. दलीप पुत्र मोमनराम जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़–फौत
2. वजीरसिंह पुत्र दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पजीयन कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।
6. कृष्णा पत्नी दलीप जाति धानक निवासी नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः-05/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व 6 की पैतृक कृषि भूमि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 98/96 की कुल 11. 3850है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के दादा प्रतिवादी स0 1 के पिता मोमन के नाम दर्ज वाद भूमि थी। वादी के दादा की फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दलिप पुत्र मौमन के नाम दर्ज है। दलिप पुत्र मोमन का देहान्त हो चुका है।

वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 01 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है। वादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के वाद भूमि दर्ज हो गयी जबकि वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वाद भूमि में बहिब हक हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी दलिप के वादी व प्रतिवादी 2 ता 3 ... ता वारिस हुए जिनका उक्त वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए दलिप के नाम दर्ज ... में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। अ... क्ता वादी ने प्रार्थना ... देश 22 नियम 4 पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी को एतराज नही होने कारण स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

कृष्णा पत्नी दलिप को पक्षकारा संयोजित किया गया। कृष्णा पत्नी दलिप ने इकबाल जवाब जरिये अधिवक्ता पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता दलिप पुत्र मोमन के नाम दर्ज है। पिता दलिप पुत्र मोमन का देहान्त हो चुका है । दलिप पुत्र मोमन के देहान्त के बाद उक्त वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 6 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 6 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दलिप पुत्र मोमन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि दलिप पुत्र मोमन का देहान्त हो चुका है तथा दलिप पुत्र मोमन के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 6 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व 6 के द्वारा जवाब पेश किया गया है कि उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे अधिवक्ता वादी ने भी मुताबिक जवाब वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दलिप पुत्र [illegible] नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे दलिप पुत्र मोमन का नाम कलमजन किया [illegible] संख्या 2 ता 3 व 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 123/2022

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. दलीप पुत्र मोमनराम जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़–फौत
2. वजीरसिंह पुत्र दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री दलीप जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पजीयन कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।
6. कृष्णा पत्नी दलीप जाति धानक निवासी नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 123 सन 2022 निर्णय दिनांक –05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम गोदारा व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 98/96 की कुल 11.3850है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दलिप पुत्र मोमन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे दलिप पुत्र मोमन का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:55 IST
Reason: SelfAttested